न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 229/2008(13/2007)
प्रकरण दर्ज तिथि :— 29.01.2007
जीसीएमएस नम्बर :— 2007/00013

वादीगणः—

1. सूरज कंवर पत्नि गजेसिंह जाति राजपूत निवारी निम्बेडाकलां
2. धाप कंवर पत्नि हुकुम सिंह के कायम मुकाम

   2.1 दुर्गासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बेडाकलां हाल मोर्डन इनश्युलटर लिमिटेड शातिवन तलहटी आबूरोड जिला सिरोही

   2.2 श्रीमति श्याम कंवर पुत्र श्री हुकुमसिंह पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली वर्तमान पता हाल देवडा भवन नेहरू कॉलोनी फालना स्टेशन तहसील बाली

   2.3 श्रीमति थानेश्वरी कंवर पुत्र हुकमसिंह पत्नि विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली

3. प्रवीण कंवर पत्नि देवीसिंह (फौत होने से हटाया गया)
4. नरेंद्रसिंह पुत्र जालमसिंह
5. बलवीरसिंह पुत्र जालमसिंह
6. महीपालसिंह पुत्र जालमसिंह

   सभी जाति— राजपूत निवासीयान— निम्बेड़ाकलां,
   तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

1. बुधाराम पुत्र गोकुलराम (फौत होने से हटाया गया)
2. जेठाराम पुत्र गोकुलराम
3. भूरकी विधवा गोकुलराम (फौत होने से हटाया गया)
4. लालूराम पुत्र हणूतराम
5. नेनाराम पुत्र हणूतराम
6. दलाराम पुत्र हणूतराम सभी जाति— जाट, निवासीयान— ग्राम मोहराकलां तहसील रायपुर।
7. पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय दुर्गादास नगर पाली द्वारा सचिव।
8. पुखराज चौधरी पुत्र मनरूपराम, जाति— सीरवी, निवासी— हेमलयावास कलां तहसील मारवाड़ जंक्शन, वर्तमान में शाखा सचिव पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय जैतारण।
9. मोतीलाल पुत्र अमराराम, जाति— जाट, निवासी— पीपलियाखुर्द, तहसील जैतारण, हाल नागौर शाखा कार्यालय बांझाकुडी रोड जैतारण

खातेदारी अधिकार घोषणा अन्तर्गत धारा 8 एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 214(3) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम 1955 सपठित धारा 27 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित 1 श्री डूंगरसिंह राठौड एवं जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः **07.02.2024**

वादी ने खातेदारी अधिकार घोषणा अन्तर्गत धारा 8 एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 214(3) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम 1955 सपठित धारा 27 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया हैं। वादपत्र का संक्षिप्त विवरण यह हैं कि सरहद मौजा मोहराकलां तहसील रायपुर की कृषि सीमा में बेरा शिवसागर एवं उसका जांव स्थित हैं। बंटवारे से पूर्व उनके संबंधित खसरा नम्बर एवं क्षैत्रफल राजस्व अभिलेख में निम्न प्रकार हैं।:—

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भू–प्रकार
248	2.11	गैर मुमकिन बेरा
244	102.04	चाही प्रथम
247	29.11	चाही प्रथम

उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ मे किशना पुत्र नवला तथा हणुत एवं गोकल पुत्रगण शिवजी के सम्मिलित खातेदारी मे थी । किशना के निधन के पश्चात उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी पुत्रगण पुरखाराम, ढगलाराम एवं भीयाराम के नाम राजस्व अभिलेख मे नामान्तरकरण के माध्यम से अंकित किये गये तथा गोकुल के निधन के पश्चात उसके उत्तराधिकारीगण उसकी विधवा श्रीमति भूरकी एवं पुत्रगण बुद्धाराम तथा जेठाराम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व अभिलेख मे नामान्तरकरण के माध्यम से अंकित किये गये जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 की प्रमाणित प्रतिलिपियो से स्पष्ट है, । उपरोक्त भूमि मे किशना का 4/9 हिस्सा था तथा हणुत एवं गोकुल दोनो भाईयो का 5/9 हिस्सा था । वादीगण ने यह निवेदन किया कि दिनांक 29.03.1974 को निष्पादित लिखित करार के माध्यम से प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के पिता तत्कालीन खातेदार हणुत तथा तत्समय अवयस्क खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से एवं अपने स्वयं की ओर से उपरोक्त कृषि भूमि मे अपने 9 मे से 5 हिस्से के खातेदारी अधिकार मूल वादीगण संख्या 1 से 3 एवं वादीगण संख्या 4 सें 6 जालमसिंह को रूपये 16,500/ के मूल्य पर विक्रय कर दिये तथा मौके पर विक्रय किये गये हिस्से से संबंधित भूमि पर वास्तविक आधिपत्य केताओं को उसी दिन सुपुर्द कर दिया । उक्त विक्रय करार के निष्पादन के समय प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 बुधाराम एवं जेठाराम कमशः 8 एवं 3 वर्ष की अल्पायु के अवयस्क थे उनके भरण पोषण एवं पढाई लिखाई के लिये उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता प्रतिवादीनी संख्या 3 श्रीमति भूरकी को रूपयो की उचित आवश्यकता होने के कारण तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के पिता हणुत को रूपयो की निजी आवश्यकता होने के कारण उपरोक्त भूमि मे अपने वादग्रस्त हिस्से के खातेदारी अधिकार का विक्रय उस समय के बाजार मूल्य पर मूल वादीगण संख्या 1 से 3 तथा वादीगण संख्या 4 से 6 के पिता स्वर्गीय श्री जालमसिंह को विक्रय करके उनके पक्ष मे उपरोक्त लिखित विक्रय करार लिखा कर निष्पादित कर दिया तथा विक्रय किये गए हिस्से की भूमि का भौतिक आधिपत्य भी विकेताओं ने उक्त करार के निष्पादन के साथ ही उसी समय मौके पर केतागण के सुपुर्द कर दिया तब से आज तक केतागण वादीगण का एकाधिपत्य उक्त भूमि पर निर्बाध शान्ति पूर्वक, बिना रोक टोक खुले रूप मे, उसके खातेदारो की हैसियत से लगातार चला आ रहा है । मूल वादीगण संख्या 1 से 3 तथा वादीगण संख्या 4 से 6 के पिता स्वर्गीय जालमसिंह ने उक्त लिखित विक्रय करार के आधार पर उपरोक्त भूमि मे अपने 5/9 हिस्से से संबंधित खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन माननीय न्यायालय श्री उप जिलाधीश जैतारण के समक्ष दिनांक 29.01.1979 को प्रस्तुत किया जो राजस्व वादसंख्या 4 सन 1979 जालमसिंह आदि बनाम हणुतराम आदि के रूप मे पंजिकृत किया गया । उस वाद मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने उत्तरवाद प्रस्तुत कर वाद–पत्र मे अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए यह अंकित किया कि उन्होने दिनांक 29.03.1974 को वादीगण के पक्ष मे कोई विक्रय करार हणुतराम के साथ मिल कर निष्पादित नही किया और न ही वादग्रस्त भूमि मे अपने हिस्से का आधिपत्य ही वादीगण को सुपुर्द किया । उक्त वाद मे वर्तमान प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के पिता हणुतराम जो कि उस वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 थे ने अपने उत्तरवाद मे दिनांक 29.03.1974 को अपने एवं श्रीमति भूरकी द्वारा वादीगण के पक्ष मे निष्पादित किये गये प्रश्नगत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विक्रय करार को सही माना तथा वादीगण से विक्रय किये गये हिस्से के सम्पूर्ण प्रतिफल के रूपये 16,500/ दोनो विक्रेताओं द्वारा प्राप्त करना स्वीकार किया तथा विक्रय किये गये हिस्से की भूमि का भौतिक आधिपत्य मौके पर वादीगण को सुपुर्द करने संबंधित तथ्यों को भी स्वीकार किया । उक्त राजस्व वाद संख्या 4/79 को उप जिलाधीश महोदय, जैतारण ने विक्रय पत्र के पंजीकृत नही होने के कारण से अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 27.08.1984 के माध्यम से खारिज कर दिया । प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने वादीनी संख्या 1 के पति गजसिंह, वादीनी संख्या 2 के पति हुकमसिंह, वादीनी संख्या 3 के पति देवीसिंह तथा वादी संख्या 4 से 6 के पिता जालमसिंह प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 के पिता हणुतराम, वादीगण के तत्कालीन काश्तका जगा एवं सरदारा, तथा प्रतिवादीगण के तत्कालीन सह खातेदार पुरखा, भीया एवं ढगला के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे न्यायालय श्री उप जिलाधीश, जैतारण मे प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 84/84 भूरकी विरूद्ध जालमसिंह आदि के रूप मे पंजीकृत किया गया । उक्त वाद को बंटवाड़ा संबंधी नूतन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करते हुए वादीगण ने दिनांक 02.02.1988 को प्रत्याहारित कर लिया । उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 84/84 भूरकी आदि विरूद्ध जालमसिंह आदि मे अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 177/84 वादीगण श्रीमति भूरकी आदि ने इस माननीय न्यायालय मे वाद-पत्र की प्रस्तुतीकरण के समय ही दिनांक 03.12.1984 को प्रस्तुत किया जिसमे उक्त वाद के प्रतिवादीगण ने उसका उत्तर दिनांक 18.11.1985 को प्रस्तुत किया । तत्पश्चात मूल वाद के प्रतिहरण के उपलक्ष्य मे वादीगण द्वारा उक्त आवेदन को प्रेश नही करने के कारण उसे दिनांक 02.02.1988 को खारिज कर दिया गया था । यद्यपि उक्त राजस्व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन मे माननीय न्यायालय उप जिलाधीश जैतारण ने वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा प्रारम्भ मे ही दिनांक 03.12.1984 को प्रसारित कर दी थी कि वे वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त मे कोई बाधा उपस्थित नही करे तथापि क्योकि वादग्रस्त भूमि पर हणुतराम एवं उस आवेदन के अन्य प्रतिपक्षीगणों का आधिपत्य नही था । जो इसलिये वह उक्त आवेदन एवं वाद के लम्बित रहने के अनुक्रम मे भी नही रहा । आवेदन के खारिज होने के पश्चात भी यथावत बना रहा और आज भी यथावत कायम है । वादीगण ने आगे यह कथन किये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने राजस्व अभिलेख मे अंकित अपने सह खातेदारान पुरखा, भीया, ढगला, हणुत एवं राजस्थान राज्य के विरूद्ध इस वाद पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित बेरा शिवसागर एवं उसके जाव के बंटवाड़े के सम्बन्ध मे एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 15.03.1979 को माननीय उप जिलाधीश महोदय, जैतारण मे प्रस्तुत किया । जिसका निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.1984 को पारित किये गये । तत्पश्चात उक्त वाद मे दिनांक 29.04.1985 को उस न्यायालय द्वारा अन्तिम (फाइनल) डिक्री पारित की गई । उस न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री से बंटवाड़ा करने के पश्चात बेरा शिवसागर के जिस जाव पर वादीगण का आधिपत्य था, उसको अलग करके उन्हें अलग खसरा संख्या आंवटित कर दिये गये तथा मौके पर उन खसरो का माप किये बिना ही भू-अभिलेख मे तथा राजस्व नक्शे मे उन खसरो को अलग करके दर्शित कर दिया गया । उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण संख्या 262 जो दिनांक 05.09.1985 को स्वीकृत किया गया, उसके माध्यम से की गई । इस नामान्तरकरण के अनुसार राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त भूमि का निम्न प्रकार बंटवारा दर्शित किया गया -

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बुद्धाराम , जेठाराम एवं श्रीमति भूरकी के खाते मे निम्न खसरा रखे गये -

क्र.स.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	244/1	28.7

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

2	247/1	5.8

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा ।

उक्त बंटवाड़ा की डिक्री के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से 6 लालाराम, नेनाराम एवं दलाराम के पिता हणुतराम के राजस्व खाते मे निम्न विवरण अंकित किया गया –

क्र.स.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	244/2	28.7
2	247/2	5.8

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा

यद्यपि राजस्व अभिलेख मे बंटवारे की डिक्री के अनुसरण मे उपरोक्त प्रकार परिवर्तन कर लिया गया था परन्तु वास्तविकता मे उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का आधिपत्य पूर्ववत् यथावत् बना रहा और उनके आधिपत्य मे न तो प्रतिवादीगण ने और न ही राजस्व अधिकारीयो ने ही कोई विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न की । उपरोक्त प्रकार राजस्व अभिलेख मे परिवर्तन के पश्चात हणुतराम के निधन के बाद नामान्तरकरण संख्या 280 एवं 281 जो दिनांक 19.02.1988 एवं दिनांक 10.12.1988 को भरे गये उनके अनुसार हणुतराम के स्थान पर उनके पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 लालूराम, नैनाराम एवं दलाराम के नाम अंकित कर दिये गये । राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त प्रकार परिवर्तन हो जाने के पश्चात भी उक्त वाद के वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधिपत्य शान्तिपूर्वक निर्बाद्ध एवं लगातार खूले रूप से खातेदारो के रूप मे चला आ रहा है जो आज भी कायम है । राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त परिवर्तन के पश्चात दिनांक 18.04.1988 को प्रतिवादी संख्या 4 लालाराम, प्रतिवादी संख्या 5 नैनाराम एवं प्रतिवादी संख्या 6 दलाराम ने जालमसिंह, गजेसिंह एवं हुकमसिंह के विरूद्ध एक और स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांकित 18.04.1988 को माननीय न्यायालय उप जिलाधीश जैतारण मे प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 31/88 लालूराम आदि बनाम जालमसिंह आदि के रूप मे पंजिकृत किया गया । उक्त वाद के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 लालूराम प्रतिवादी संख्या 05 नेनाराम एवं प्रतिवादी संख्या 6 दलारामें ने उनके हिस्से की वादग्रस्त भूमि के उपयोग व उपभोग मे जालमसिंह, गजेसिंह एवं हुकमसिंह द्वारा कोई रोक टोक करने अथवा बाधा उपस्थित करने से उन्हे रोकने सम्बन्धी अनुतोष चाहा था तथा बेरा शिवसागर खसरा संख्या 248 के उत्तरी ढाणे पर लगी बिजली की मोटर को पांच दिन मे से ढाई दिन चलाने मे कोई बाधा उपस्थित नही करने का अनुतोष भी चाहा था । प्रति उत्तर मे उक्त वाद के प्रतिवादीगण ने यह निवेदन किया था कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर हणुतराम द्वारा उसे जालमसिंह, सुरजकंवर ,धाप कंवर एवं प्रवीण कंवर को बेचने के समय से ही उनका उस पर शान्तिपूर्वक आधिपत्य निर्बाद्ध गति से चला आ रहा है । उक्त बेरे पर बिजली की मोटर भी उन्होने ही अन्य सह खातेदारो ,काश्तकारों के साथ मिलकर लगाई थी । काफी व्यय लगा कर कुए को भी गहरा कराया है । वादग्रस्त भूमि पर उनकी आज भी फसल खड़ी है तथा उन्हे धारा 53–ए सम्पति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा प्राप्त है । ऐसी स्थिति मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री उनके विरूद्ध पारित नही की जा सकती है । उसके अन्तिम आदेशिका दिनांकित 04.02.1988 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण के अधिवक्ता ने उन्हे अपने पक्षकारो के निर्देश नही होने के आधार पर इस वाद को खारित करवाया था । ऐसा इसलिये किया गया कि उक्त राजस्व वाद के साथ लालूराम आदि ने अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 28/88 लालूराम आदि बनाम जालमसिंह आदि प्रस्तुत करके वाद के लम्बित रहने वादग्रस्त कृषि भूमि का उनके द्वारा उपयोग व उपभोग करने मे रूकावट करने से प्रतिवादीगण-को रोकने हेतु प्रार्थना की थी । उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के उत्तर मे प्रतिवादीगण ने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादग्रस्त भूमि पर अपना शान्ति पूर्वक आधिपत्य उपरोक्त परिस्थितियों मे होना अंकित किया था और अपने उत्तर के समर्थन मे पड़ौसी बेरा पहला शिवसागर सरहद मौजा निम्बेड़ा कंला के खातेदार काश्तकार छगाराम पटेल एवं जगमाल पटेल दूसरा पड़ौसी बेरा गंगासागर के खातेदार काश्तकार गुमना पुत्र काना पटेल निवासी रामपुरा, भीया पुत्र दाना सीरवी बेरा सोभेसर के लाबू पुत्र गणेश पटेल वादग्रस्त बेरे शिवसागर के साह खातेदार काश्तकार (1) ढगलाराम पुत्र किशना जाट (2) घेवर पुत्र पायू जाट, (3) देवीसिंह पुत्र गुमान सिंह पुरोहित वादग्रस्त कृषि भूमि से मिलता हुआ बेरा रामसागर के खातेदार काश्तकार (4) पुखा पुत्र औखा पटेल पड़ौसी बेरा सुजान वाला के खातेदार काश्तकार, (5) मंगलसिंह पड़ौसी बेरा किलगचिया के खातेदार (6) लायू पुत्र मगजी पटेल जो पूर्व मे वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार थे तथा जिन्होने उक्त भूमि का 5/9 वां हिस्सा कणुराम व गोकलराम को बेचा था । उनका पड़ौसी बेरा ब्राहमणों का काया के खातेदार काश्तकार(7) भंवरलाल पुत्र बंशीलाल ब्राहमण (8) मांगीलाल पुत्र शेरा सुथार निवासी निम्बेड़ा कला (9) सूजा पुत्र बालू कला निवासी निम्बेड़ा कलां (10) हरजी पुत्र मूला राईका निवासी मोहरा कला (11) बजरंग पुत्र गोकुल रावणा राजपूत निवासी निम्बेड़ा कलां (12) गुमान पुत्र मेहराम राईका निवासी निम्बेड़ा कला (13) भवरू पुत्र मंगला गुर्जर निवासी मोहरा कलां व (14) बाबू पुत्र धूला गुर्जर निवासी निम्बेड़ा कला के शपथ–पत्र संलग्न किये थे । उक्त शपथ–पत्रों के प्रमाण से घबरा कर वादीगण लालूराम आदि ने अपने अधिवक्ता तख्तराज भण्डारी के मार्फत निर्देशन नही होने के आधार पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन संख्या 28/88 एवं मूल वाद संख्या 31/88 को खारिज कराने हेतु निवेदन किया और इस पर तख्तराज भण्डारी अधिवक्ता ने इन प्रकरणों मे वादीगण का निर्देश नही होना व्यक्त कर उनको खारिज करवाया । जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के प्रस्तुतीकरण के बहुत पहले से अर्थात विक्रय करार दिनांकित 29.03.1974 के निष्पादन के समय से ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर विक्रेताओं का आधिपत्य शान्ति पूर्वक खूले रूप मे लगातार निर्बाद्ध गति से खातेदारो की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर यथावत चला आ रहा था । वादीगण ने यह निवेदन कियां है कि जिस प्रकार उपरोक्त वाद लालूराम आदि ने जालमसिंह, हुकमसिंह व गजसिंह के विरूद्ध उप जिलाधीश महोदय, जैतारण के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था उसी रूप स्वरूप का दूसरा वाद श्रीमति भूरकी व उनके पुत्रगण बुद्धाराम एवं जेठाराम ने गजेसिंह, जालमसिंह एवं हुकमसिंह के विरूद्ध उसी न्यायालय मे दिनांकित 20.04.1988 को उसी प्रकार के अभिवचनो के आधार पर और उसी प्रकार का अनुतोष चाहते हुए प्रस्तुत किया था जो राजस्व वाद संख्या 30/88 श्रीमति भूरकी आदि बनाम गजेसिंह आदि के रूप मे पंजिकृत किया गया था । यह वाद भी धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत था जो भूरकी आदि के खाते मे बंटवाड़े की डिक्री के पश्चात दर्ज की गई भूमि के सम्बनिधत था । इस दावे के उत्तरवाद मे गजसिंह आदि ने लगभग वही अभिवचन प्रस्तुत किये थे जो कि लालूराम के वाद मे प्रस्तुत किये गये थे । उक्त वाद मे भी श्रीमति भूरकी आदि ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 29/88 उसी प्रकार प्रस्तुत किया था जैसा की लालाराम आदि ने अपने वाद मे किया था और उसमे लगभग वही अभिवचन दोहराये गये थे जो लालूराम ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन मे अंकित किये थे । श्रीमति भूरकी के अस्थाई निषेधाज्ञा के उत्तर मे भी गजसिंह आदि की ओर से वादग्रस्त कृषि भूमि पर श्रीमति सूरज कंवर, धापकंवर , प्रवीण कंवर एवं जालमसिंह का उक्त भूमिको खरीदने के समय से दिनांक 29.03.1974 से शान्ति पूर्वक कब्जा यथावत चला आना वर्णित किया था और उसमे भी उन्ही व्यक्तियों के शपथ–पत्र भी अपने उत्तर के समर्थन मे प्रस्तुत किये थे जिनके शपथ–पत्र लालूराम के अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के उत्तर के साथ प्रस्तुत किये गये थे। श्रीमति भूरकी के अस्थाई निषेधाज्ञा को भी उनके अधिवक्ता तख्तराज भण्डारी के निर्देश नही होने के आधार पर दिनांक 04.02.1988 को उसके वाद के साथ ही खारिज करवा दिया था । वादीगण का यह निवेदन है कि मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

न्यायालय मे प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 एवं 6 के पिता हणुतराम ने शपथ पूर्वक कथन अभिलिखित करवाये थे जिसमे भी उन्होने वादग्रस्त कृषि भूमि का आधिपत्य 13–14 साल पहले उनको बेचने के समय से ही वादीगण का होना अंकित करवाया था । वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपना आधिपत्य उसके सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पूर्व स्वत्वधारी द्वारा निष्पादित खातेदारी अधिकारो के उनको बेचान से संबंधित विक्रय करार दिनांकित 29.03.1974 के माध्यम से उसी दिन विधि पूर्वक प्राप्त किया था । जैसा कि उसमे अंकित है । उक्त विक्रय करार तीन वर्ष तक अर्थात 29.03.1977 की अवधि तक विधि मान्य था तथा उसके अन्तर्गत की गई संविदा की विशिष्ठ परिपालना उक्त तिथि तक सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करके करवायी जा सकती थी । उक्त करार के निष्पादन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि बीत जाने से यह विक्रय करार समय सीमा से बाधित होकर निष्प्रभावी हो गया । परन्तु वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधिपत्य प्रतिकूल धारण हो गया इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उसी अनुकम मे किया गया खतेदारी अधिकार की घोषणा का वाद दिनांक 27.08.84 को निम्न आधारो पर खारिज कर दिया गया कि " **रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 एवं सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत सम्पति अन्तरण रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से होना आवश्यक है । चूकि बेचान बिना रजिस्टर्ड है जो कानून की दृष्टि मे कोई मान्यता नही रखता है** " इस प्रकार उक्त वाद के खारिज होने के उपरान्त वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधिपत्य अतिक्रमण की परिसीमा मे आ गया और उसके पश्चात प्रतिवादीगण को यह अधिकार था कि वे वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य पुनः प्राप्त करने हेतु उचित विधिक कार्यवाही करते परन्तु उन्होने इस सम्बन्ध मे कोई विधिक कार्यवाही नही की । बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 31/88 लालूराम आदि बनाम जालमसिंह आदि तथा राजस्व वाद संख्या 30/88 श्रीमति भूरकी आदि बनाम गजसिंह आदि दिनांक 26.04.1988 को उप जिलाधीश महोदय, जैतारण के न्यायालय मे प्रस्तुत किए तथा उपरोक्त प्रत्येक वाद मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किये । उक्त राजस्व अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनो के क्रमशः दिनांक 18.04.1988 तथा दिनांक 20.04.1988 को प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष मे इस वाद के वादीगण के विरूद्ध उस न्यायालय से एक पक्षीय निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली । उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रत्येक आवेदन मे एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर इस वाद के प्रतिवादीगण की ओर से उस न्यायालय को यह निवेदन किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना हेतु पुलिस सहायता का आदेश पारित किया जावे । जिस पर पुलिस इमदाद देने का आदेश पारित कर दिया था परन्तु क्योकि वास्तव मे मौके पर उक्त वादो के वादीगण का आधिपत्य था ही नही, इसलिये एक तरफा जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा तथ्यहीन थी । इस निर्देश की पालना मे तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर नरतसिंह अपने दल बल सहित जब मौके पर पहुचे तो मौके पर उन्हे इस वाद के वादीगण के पूर्ववर्ती स्वत्वधारी जालमसिंह, हुकमसिंह आदि के अतिरिक्त लगभग 100 से 150 व्यक्ति खड़े मिले । उन्होने कहा कि हम बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य इस वाद के पूर्व स्वत्वधारी वादीगण जालमसिंह आदि से नही लेने देगे । विवश होकर थानाधिकारी रायपुर को निराश होकर वापिस लौटना पड़ा । उन्होने दिनांक 22.07.88 को एक रिपोर्ट उस न्यायालय को भेज कर प्रकट किया कि पुलिस इमदाद के आदेश के साथ उस न्यायालय के उस आदेश की प्रति प्राप्त नही हुई है । जिसकी पालना न्यायालय द्वारा चाही गई । इस पर उप जिलाधीश महोदय, जैतारण ने दिनांक 27.07.88 को थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर को एक तहरीर जारी कर पुनः निर्देशित किया कि उपरोक्त जमीन व बेरे के कब्जे काश्त मे प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर इस आदेश की पालना करवायी जावे । उक्त तहरीर बिना किसी आज्ञा आदेशिका के जारी की गई थी जो सर्वथा विधि विरूद्ध थी तथा न्यायालय ने अपने अधिकारों की परिधि के बाहर जाकर जारी किया था । इसलिये दिनांक 18.07.1978 को उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आवेदनो के प्रतिवादीगण अर्थात इस वाद के वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता शान्तिलाल प्रजापति ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त मामले मे गैरसायल के वकील होते हुए बिना उनको सुने सिर्फ सायल की दरख्वास्त पर सायल ने न्यायालय को भुलाया देकर पुलिस इमदाद का आदेश ले लिया और उस आदेश की गार्ब मे गैरसायलान की फसल नष्ट कर जमीन पर कब्जा करना चाहते है । अगर सायलान ने न्यायालय को मुगालता देकर पुलिस इमदाद के सहारे गैरसायलान को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो भारी अन्याय हो जायेगा । अतः निवेदन है कि इस प्रकरण मे बहस होकर निर्णय नही हो जाता तब तक पुलिस इमदाद का आदेश स्थगित फरमावे । उक्त प्रार्थना–पत्र को उस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 10.08.1988 के द्वारा खारिज कर दिया । इसी दौरान दिनांक 01.08.1988 को उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन मे वादीगण सूरजकंवर आदि के द्वारा उत्तर भिन्न भिन्न जातियों व भिन्न भिन्न स्तर के लोगों के जिनमे की वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी काश्तकारो खातेदारो उनकी लूंग पापडी खरीदने वाले गडरीयो तथा उस पर वादीगण की ओर से काश्त करने वाले काश्तकारों के शपथ–पत्रो से न्यायालय को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वास्तव मे आधिपत्य वादीगण श्रीमति सुरजकंवर आदि का ही है तथा उनके आधिपतय को धारा 53–ए सम्पति अंतरण अधिनियम की प्रतिरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध है और इसलिये पुलिस सहायता के माध्यम से प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य करवाने की कवायद उस न्यायालय द्वारा छोड़ दी गई और अन्त मे दिनांक 04.02.1997 को उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के दोनो आवेदन एवं दोनो राजस्व वाद निर्देश नही होने के आधार पर वादीगण के अधिवक्ता तख्तराज भण्डारी ने उक्त न्यायालय से खारिज करवा दिये । उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण श्रीमति सूरज कंवर आदि का आधिपत्य यथावत बना रहा । दिनांक 29.03.74 को वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष मे निष्पादित किये गये विक्रय करार के प्रवर्तन की समय सीमा दिनांक 29.03.1977 को समाप्त हो जाने पर उसके शून्य हो जाने के समय से उक्त भूमि पर उनका अर्थात वादीगण श्रीमति सुरज कंवर आदि का आधिपत्य अतिक्रमियों जैसा हो गया । ऐसी स्थिति मे उनके स्वयं को खातेदार घोषित कराने सम्बन्धी राजस्व वाद संख्या 04/79 जालमसिंह आदि बनाम हणुतराम आदि को इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने का तात्पर्य अपने आपको खुले रूप मे उक्त भूमि के खातेदार होना प्रकट करना हुआ । इसलिये उस समय से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण श्रीमति सूरज कंवर आदि का खूले रूप मे खातेदारो की हैसियत से बिना रोक टोक लगातार निर्बाद्ध, प्रतिकूल धारण (एडवर्स पजेशन) यथावत हैं । जो शान्ति पूर्वक 27 वर्षो से अधिक समय से है । इस बीच दिनांक 18.04.1988 को प्रतिवादीगण द्वारा संस्थित स्थायी निषेधाज्ञा के राजस्व वाद संख्या 31/88 लालूराम आदि बनाम जालमसिंह आदि तथा राजस्व वाद संख्या 30/88 श्रीमति भूरकी आदि बनाम गजसिंह आदि तथा उनके संदर्भ मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदनो के माध्यम से उनके पूर्व स्वत्वधारी हणुतराम व भूरकी द्वारा जालमसिंह, सूरजकंवर आदि के पक्ष मे निष्पादित विक्रय करार दिनांकित 29.03.74 को इन्कार करते हुए वादीगण को वादग्रस्त भूमि से निष्कासित करने का असफल प्रयास किया गया जो विधि विरूद्ध था । इन दावो एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदनो का वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर शान्ति पूर्वक आधिपत्य एवं उसके उपयोग व उपभोग मे कोई भौतिक बाधा उपस्थित नही हुई । इसलिये वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उनके खातेदारी अधिकार उनके उस पर आधिपत्य के स्थापित करने के समय से अर्थात दिनांक 18.04.88 के पश्चात उक्त वाद मे प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय करार को नकारने पर एवं वाद संख्या 30/88 एवं 31/88 दिनांक 18.04.1988 को उप जिलाधीश जैतारण मे प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का प्रयास के समय से 12 वर्षो से अधिक काल तक प्रतिकूल धारण यथावत बने रहने से सन् 1989 के चौथे महिने मे परिपूर्ण एवं पुख्ता हो गये । इसके विपरीत वादग्रस्त कृषि भूमि से सबंधित प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार द्वारा 63(4) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

सपठित धारा 27 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रभाव से समाप्त हो गए । वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को अब यह आभास हो गया कि वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने हेतु उनके पक्ष मे अब कोई उपचार शेष नही बचा है तो उन्होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 मोतीलाल ने यह तय किया कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड पाली की जैतारण शाखा से भारी मात्रा मे ऋण प्राप्त करके ट्रेक्टर, ट्रोली एवं कल्टी क्रय कर लिये जावे तथा ऋण की किश्तो का भुगतान न किया जावे जिससे कि उक्त बैंक वादग्रस्त कृषि भूमि का अन्त मे निलामी के माध्यम से विक्रय कर ऋण राशि की वसूली कर लेगा । इस प्रकार बैंक प्रतिवादी संख्या 7 वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से निष्कासित कर देगा । इसलिये शाखा सचिव पुखराज ने बिना मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि के वास्तविक आधिपत्य के सम्बन्ध मे जांच किये राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को 3,90,000/- रूपयो का ऋण भूमि विकास बेंक प्रतिवादी संख्या 7 से उपलब्ध करवा दिया । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को यह पता है कि यह राशि उनको वापिस बैंक प्रतिवादी संख्या 7 को नही लौटानी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 पुखराज तथा प्रतिवादी संख्या 9 मोतीलाल को भी पूर्ण जानकारी है कि इस राशि की वसूली कृषि भूमि की निलामी के अतिरिक्त नही होनी है । इन अभिवचनो के आधार पर वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही है और साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा वादीगण के आधिपत्य मे किसी प्रकार कोई बाधा उपस्थित करने से रोकने का अनुतोष भी चाहा है वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8, 9 की ओर से वकील चावण्डदान बारहठ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । दिनांक 13.06.2007 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । उसमे वादीगण के वाद के तथ्य को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण ने यह निवेदन किया कि लिखित बेचान इकरारनामा दिनांक 29.03.1974 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वादीगण ने राजस्व वाद संख्या 4/79 जालमसिंह बनाम हणुतराम के निर्णय दिनांक 27.08.1984 के विरूद्ध कोई अपील नही हुई है । इस कारण यह वर्तमान वाद रेस्ज्यूडीकेटा की तारीफ मे आता है साथ ही सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 53-ए तथा 54 के अनुसार वादी का उक्त वाद खारिज करने योग्य होना बताया है । दिनांक 24.10.2016 को निम्न तनकियात बनाई गई ।

1- क्या वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 29.03.74 के आधार पर अधिकार घोषणा का राजस्व वाद सं 4/79 जालमसिंह आदि बनाम हणुतराम आदि उक्त विक्रय पत्र के पंजिकृत नही होने के कारण अवैध एवं प्रभावहीनता के चलते दिनांक 27.08.1984 को खारिज किया गया इसलिये दिनांक 27.08.1984 से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य अतिक्रमियों का हो गया ?

---- वादीगण

2- क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से उपरोक्त अवैध विक्रय विलेख दिनांकित 29.03.1974 के अन्तर्गत वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का आधिपत्य सुपुर्द करने के पश्चात पुनराधिपत्य प्राप्त करने हेतु कार्यवाही निर्धारित समयावधि मे नही करने से उनके खातेदारी अधिकार वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे धारा 63(4) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गए है ?

---- वादीगण

3- क्या वादग्रस्त कृषि भूमि पर दिनांक 27.08.1988 से आज तक वादीगण का शान्ति पूर्वक बिना भौतिक व्यवधान के खातेदारो की हैसियत से सर्वविदित निर्बाध आधिपत्य के अनुसार उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है ?

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

—— वादीगण

4– क्या वादीगण द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद संख्या 4/79 जालमसिंह आदि बनाम हणुतराम आदि मे पारीत वाद निरस्तीकरण की डिक्री विक्रय विलेख दिनांक 29.03.1974 के पंजिकृत नही होने के आधार पर पारित की गई वह इस वाद मे रेराज्यूडिकेटा मानी जावेगी ?

—— प्रतिवादीगण

5– अनुतोष

वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे पी डब्ल्यू 1 नरेन्द्रसिंह, पी डब्ल्यू 2 भंवरलाल, पी डब्ल्यू पी 3 जोगाराम, पी डब्ल्यू 4 खीयाराम , पी डब्ल्यू 5 छितर के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये । जिसमे से पी डब्ल्यू 3 एवं 4 न्यायालय मे सत्यापन हेतु उपस्थित नही हुए इसलिये उनके बयान नही पढे जा सकते है । वादीगण ने साक्ष्य दस्तावेज मे कुल 17 दस्तावेज प्रदर्श कराये । जिसकी सूची निम्न है –

प्रदर्श–1	जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 तक खसरा संख्या 248, 244, 247 किशना का 4/9 व हणुता व गोकुल 5/9
प्रदर्श–2	असल बेचान करार दिनांक 29.03.1974
प्रदर्श–3	राजस्व वाद संख्या 4/79 जालमसिंह विरूद्ध हणुतराम का उपखण्ड अधिकारी,जैतारण के न्यायालय मे दिनांक 29.01.1979 को खातेदारी की घोषणा हेतु पेश किया । उक्त वाद का निर्णय दिनांक 27.08.1984 को हुआ की सम्पूर्ण पत्रावली ।
प्रदर्श–4	राजस्व वाद 84/84 भूरकी/जालमसिंह का वाद दिनांक 22,02.1988 को विद्रो कर लिया गया की सम्पूर्ण पत्रावली ।
प्रदर्श–5	राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा 1979 मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रारम्भिक डिक्री 30.10.1984 को पारित हुई ।
प्रदर्श–6	उपरोक्त वाद मे अन्तिम डिक्री व निर्णय 29.04.1985
प्रदर्श–7	बंटवाड़े का म्यूटेशन संख्या 262 दिनांक 05.09.1985
प्रदर्श–8	बंटवाड़े का नक्शा ।
प्रदर्श–9–10	हणुता जी के निधन के बाद उनके पुत्रों के नाम के म्यूटेशन संख्या 280 एवं 281 भरे गए ।
प्रदर्श–11	वर्तमान जमाबन्दी 2061 से 2064
प्रदर्श–12	राजस्व नक्शे की प्रति ।
प्रदर्श–13	राजस्व वाद संख्या 31/88 लालूराम/जालमसिंह के वाद को दिनांक 04.02.1988 को नोट प्रेस किया कि सम्पूर्ण पत्रावली
प्रदर्श–14	शपथ–पत्र (1) छगाराम (2) जगमाल (3) गुमना (4) भीया (5)लाबू (6) ढगलाराम (7) घेवरराम (8) देवीसिंह (9) पूरखा (10) मंगलसिंह (11) लाबू (12) भंवरलाल (13) मांगीलाल (14) सुजा (15) हरजी (16)बजरंग (17) गुमान (18) भवर (19) बाबू
प्रदर्श–15	राजस्व वाद संख्या 30/88 भूरकी/गजेसिंह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एस.डी ओ जैतारण मे पेश किया, जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली
प्रदर्श–16	उक्त वाद मे भी गजेसिंह द्वारा टी.आई के जवाब के साथ प्रदर्श–14 मे उललेखित सभी व्यक्तियो के शपथ–पत्र प्रस्तुत किए जिसमे दिनांक 04.02.1988 को नोट प्रेस से खारिज करवा दिया की सम्पूर्ण पत्रावली ।
प्रदर्श–17	हणुत के कोर्ट बयान ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दिनांक 24.02.2011 को प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । दिनांक 09.06.2011 को शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । दिनांक 21.07.2011 को प्रतिवादी संख्या 4 लालूराम पुत्र हणुतराम की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 7 पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 5, व 6 की ओर से वकील देवेन्द्रसिंह व रामस्वरूप चौधरी ने वकालतनामा पेश किया । परन्तु एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया । दिनांक 14.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 4 लालूराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी का दिनांक 04.10.2016 को खारिज किया गया । दिनांक 27.10.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र प्रजापत ने वकील रामस्वरूप का उपस्थिति पत्र पेश किया । दिनांक 27.11.2017 को प्रतिवादीगण ने जिरह हेतु समय चाहा । उसके बाद दिनांक 31.01.2018 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ तब दिनांक 22.10.2018 को प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । वादीगण ने उसका जवाब प्रस्तुत किया । प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होकर उक्त प्रार्थना-पत्र को प्रेस नही करने से प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का खारिज किया गया । पत्रावली बहस हेतु ---- नियत की गई । चुकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व मे ही हो चुकी थी और प्रकरण काफी पुराना है । इसलिये एक तरफा बहस सुनी गई । वादीगण के अधिवक्ता की बहस है कि

वादीगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 29.03.1974 के आधार पर अधिकार घोषणा का राजस्व वाद संख्या 4/79 जालमसिंह विरूद्ध हणुतराम प्रस्तुत किया था जो कि विक्रय पत्र दिनांक 29.03.1974 पंजिकृत नही होने से दिनांक 27.08.1984 को खारिज कर दिया गया । जो प्रदर्श-3 है तब से लेकर आज दिनांक तक वादीगण का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधिपत्य शान्ति पूर्वक बना हुआ है जो कि एक अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है । वादीगण का उक्त भूमि पर शान्ति पूर्वक कब्जा यह वाद प्रस्तुत करने तक 23 वर्षो से अधिक समयतर का आधिपत्य हो चुका है। साथ ही धारा 63(4) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को दिनांक 29.03.1974 से उक्त भूमि का पुनराधिपत्य प्राप्त करने की समय सीमा 11 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी है जो कि तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23 के अनुसार समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित है । वादीगण द्वारा यह निवेदन करना कि दिनांक 27.08.1984 से आज तक वादीगण का शान्ति पूर्वक बिना भौतिक बाधा के खातेदारो की हैसियत से सर्वविदित आधिपत्य बने रहने से प्रतिकूल धारण के सिद्धान्त के अनुसार वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । वादीगण ने उपरोक्त इन तथ्यों को साबित करने हेतु अपनी साक्ष्य मे स्वयं वादी नरेन्द्रसिंह पी डब्ल्यू-1, पी डब्ल्यू-2 भवरलाल, पी डब्ल्यू-3 जोगाराम,पी डब्ल्यू-4 खीयाराम, पी डब्ल्यू-5 छीतर के शपथ-पत्र पेश किये गये और उनका सत्यापन भी हो गया परन्तु पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने शेष रह गऐ । अतः साक्षीगण को पुनः बुलाया गया परन्तु पी डब्ल्यू- 1 नरेन्द्रसिंह, पी डब्ल्यू-2 भंवरलाल, पी डब्ल्यू-5 छीतर उपस्थित आ गये इसलिये उनके बयानो को पुनः सत्यापित किया गया । वादीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन मे प्रतिकूल धारण(एडवर्स पजेशन) के बिन्दु पर अभिनिर्णय AIR 2003 SC 1905 बोवन्दरसिंह विरूद्ध निहालसिंह एवं 1919 PC 44 एन वर्धा विरूद्ध जीवनमल प्रस्तुत किये । वादीगण के अधिवक्ता का यह भी निवेदन रहा है कि प्रतिवादीगण ने अपने उत्तर वाद मे यह आपत्ति उठाई है कि यह वाद राजस्व न्यायालय के सुनवाई क्षैत्राधिकार मे नही है । इसके सम्बन्ध मे वादी का यह कहना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अशोक विरूद्ध अमरी बाई के प्रकरण मे पारित निर्णय जो 2010 (2) RLW(RJ) 1975 के अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा के सम्बन्ध मे किसी भी आधार पर प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को प्राप्त है । इस मत को विजयसिंह विरूद्ध बुद्धा 2012(2) RLW(RJ) 896 मे पुष्टि की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

इसी प्रकार वादीगण के अधिवक्ता का यह कहना है कि उपरोक्त वाद विक्रय करार के आधार पर प्रस्तुत नही किया गया है । विक्रय करार मात्र वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य दिनांक 29.03.1974 से होना प्रमाणित करने हेतु विक्रय करार की साक्ष्य अग्राह्य नही है । अपने तर्क के समर्थन मे वादीगण के अधिवक्ता ने शंकरलाल विरूद्ध सिविल जज जो AIR 2006 Raj. 187 प्रस्तुत किया । तनकियात सं 4 के प्रमाणिकरण का भार प्रतिवादीगण पर है परन्तु उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही है । इसलिये इसके संबंध मे यही माना जायेगा की वे इस विवादक को प्रेस नही करना चाहते फिर भी इसके सम्बन्ध मे वादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण द्वारा उनके उत्तरवाद मे रेस्ज्यूडिकेट के संबंध मे उठाये गए उजर के बारे मे यह निवेदन किया कि वादीगण द्वारा पूर्व वाद संख्या 4/79 जो दिनांक 29.01.1979 को प्रस्तुत किया गया तथा उसमे घोषणा की डिक्री विक्रय करार दिनांक 29.03.1974 के आधार पर मांगी थी जो अपंजीकृत होने से वाद खारीज कर दिया गया था । इस वर्तमान वाद का वाद हेतुक वादीगण द्वारा उस वाद के खारीज करने की तिथि से उनका आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर अतिक्रमी का होने से प्रतिकूल धारणा की म्याद शुरू होने से उत्पन्न होना बताया है । इसलिये दोनो वादो का वाद हेतुक भिन्न होने से वर्तमान वाद को पूर्व वाद का निर्णय रेस्जयूडिकेटा के सिद्धान्त से वाधित नही होता । अपने तर्क समर्थन मे वादी के अधिवक्ता ने मुन्नीलाल विरूद्ध रामनलाल 2009 (1) RLW (Rj) 419 का अवलोकन कराया ।

विवादक संख्या 1, 2, व 3 समानान्तर तथ्यों के आधार पर होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अभिनिर्णय AIR 2003 SC 1905 बोवन्दरसिंह विरूद्ध निहाल सिंह मे प्रतिकूल धारण के सिद्धान्त की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है । उसके तथ्य वर्तमान वाद के तथ्यो से पूर्ण रूप से मेल खाते है इस अभिनिर्णय के पद संख्या 5 व 6 इस प्रकरण हेतु सुसंगत है जिन्हे नीचे उदधृत किया जाता है :–

5. The main question as we have already noted is the questions of continuous possession of the plaintiffs over the suit lands. The sale deed dated 9.5.1931 by fakir Chand father of the defendants in favour of Tola singh the predecessor in interest of the plantiff is an admitted document in the senseits execution is not in dispute . The only defence set up against said document is that is it unstamped and unregistered and there fore it can not convey title of the land in favour of plaintiffs. Under the law a sale deed is required to be properly stamped and registered before. It cand convey title to the vendee. However legal possition is clear law that a document like the sale deed in the present case even though not mdmissible in evidence can be looked into for collateral purposes in the present case the collateral purpose to be seen is the nature of possession of the plaintiffs over the suit land. The sale deed in question at least shows that inttial possession of the plaintiffs over the suit land was not illegal or unauthorized . It is significant to note that the sale deed is dated 9.5.1931 and fakir Chand died some where in the year 1949-50. During his life time Fakir Chand never disrupted plaintiffs title or possession of the suit land. There is other reliable evidence on record which estabishes that the plaintiffs have been in continuous possession of the land in questions. There is a notice dated 16.04.1956 Exhibit p.6. the notice was issued on behalf of the defendants and is addressed to the predecessor interest of the plaintiffs. By the notice the defendants called upon the plaintiffs to hand over possession of the suit hand to them. According to the notice the plaintiffs were trespassers on the suit land and were liable to hand over its

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

possession to the defendants. This notice is an admission on the part of the defendants. This notice is an admission on the part of the defendants that the plaintiffs were in possession of the suit land at least on the date of the notice i.e 16th April 1956. The notice was followed by an applicatttin dated 8th May 1956(Exhibit P.3) filed by the defendants under S.58 of the madhya Bhart Land Revenue and Tenancy Act. 1950 before the revenue authorities . In the said application the defendants admit that the land in question was in possession of the plantiffs since the lifetime if their father. It is further admitted that the land was being cultivated by the plantiffs. It was prayed in the said application that plaintiffs be declared trespasseres over the suit land and possession of the land be given to the defendants. In their replu to the application the present plaintiffs denied tha allegatton that they were trespassers on the suit land they refer to the sale deed of 9.5.1931 by Fakit Chand in faviur if their predecessor. Thus the plaintiffs were all along asserting that they were in possession of the land in their own right. The Tehsildar vide his order dated 3rd October 1959 dismissed the said application of the defendants. He relled on an admission on the part of poonam Chand eldest son of Fakir Chand that the present plaintiffs were in posscesion for the last 26-27 years. Relying on the said statement the revenue suthorities held that since possession of the present plaintiffs was continuing for last 26-27 years they could not be dispossessed from the suit land . The application of the defendants was dismissed. The defendant filed an appeal against on 6.8.1962. A copy of the order of the Tehsildar is Exhibit P.8 while a copy of the order of the appellate authorityi.e. S.D.O is Exhibit P.9. These judgments of the reveunue suthorities establish that at least till 1962 the plaintiffs were in possession of the suit land. They also totally nullify the assertion of the defendants in their written statement in the present suit that they had taken possession of the suit land in 1957-58. If they had taken possession of the suit land in 1957-58 why were they pursuing the matter before the revenue authority till 1962 when the appeal was contested before the S.D.O. and the decision of the S.D.O was given on 6.8.1962 ?

6. It appears that having failed to abtain possession of the suit land through lawful means the defendants tried to dispossess the plaintiffs forcibly which led to the present suit being filed on 15.04.1972 . The claim of the defebdants regarding taking possession of suit land from plaintiffs in 1957-58 having been found to be false. It follows that the defendants never came into possession of the suit land. Another singnificant conclusion which follows from these facts is that the defendants started asserting their title to the suit land since at least 1956 when they issued the notice Exhibit P.6 while the plantiffs have been denying their title to the suit land and were setting up their own title to the same. This lends support to the plea of adverse possession set up by the plaintiffs. It will be seen from this clear and clinching evidence on record that the plantiffs were in continuous and uninterrupted possession of the suit land since 1931 and they has been setting up a hostile title thereto as against the defendants. The defendants were asserting their title to the land since 19566. They has however failed to get possession of the suit land. The

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

plea of adverse possession raised by the plaintiff is thus clearly established.

वादीगण ने बेचान इकरारनामा दिनांक 29.03.1974 के माध्यम से वादग्रस्त कृषि भूमि का आधिपत्य प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वज हणुतराम से प्राप्त करना कहा है जिसे प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से खारिज नही किया है। इकरार के निष्पादन के पश्चात जो मुकदमे बाजी पक्षकारो के मध्य चली है उसका रेकर्ड वादीगण ने पत्रावली पर प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–3, 4, 13, 15, व 16 है । प्रतिवादीगण ने जो तीन वाद भूरकी विरूद्ध जालमसिंह 84/84 एवं लालूराम विरूद्ध जालमसिंह 31/88 तथा भूरकी विरूद्ध गजेसिंह 30/83 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये इन वादो मे जो उत्तरवाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये थे । उसमे उन्होने धारा 53–ए सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के आधार पर न्यायालय से वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने आधिपत्य की सुरक्षाचाही थी । इन उत्तरदवादो का जवाबुल जवाब प्रस्तुत नही हुआ । इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का बेचान इकरारनामे के निष्पादन की तिथि से आधिपत्य यथावत चले आने के तथ्य का प्रतिवादीगण ने कोई स्पष्ट रूप से खण्डन नही किया, न ही इस वाद मे प्रस्तुत उत्तरदवाद मे प्रतिवादीगण ने वादीगण के आधिपत्य का प्रभाव पूर्वक ही खण्डन किया है । प्रतिवादीगण को अनेक अवसर दिये जाने के बाद भी उनकी ओर से वादीगण के साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण नही किया गया । इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होने का तथ्य अखण्डित रह गया । प्रतिवादी लालूराम आदि के पूर्वज हणुतराम ने पक्षकारो के मध्य चले पूर्ववर्ती प्रकरण मे जो अपने न्यायालय के समक्ष अभिलिखित करवाये गये बयानो मे वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य स्वीकार किया जो प्रदर्श–17 है । इन सभी मौखिक एवं अभिलेखिय साक्ष्य से वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य बेचान इकरार दिनांक 29.03.1974 प्रदर्श–2 के निष्पादन के समय से लगातार चला आना भली भाति प्रमाणित है । जो इकरारनामे के निष्पादन के तीन वर्ष की अवधि के पश्चात विधि के अन्तर्गत वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का आधिपत्य अतिक्रमी का हो गया । इसके अतिरिक्त इकरानामे के आधार पर न्यायालय मे प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 4/79 जालमसिंह विरूद्ध हणुतराम प्रदर्श–3 के इस अभिलेख के अपंजीकृत होने के आधार पर खारिज होने की दिनांक 27.08.1984 के पश्चात तो निश्चित रूप से वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा अवैध एवं अतिक्रमी का हो गया । इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिकूल धारण 12 वर्ष की अवधि से दुगने समय तक शान्ति पूर्वक वर्तमान वाद प्रस्तुत करने तक बना रहा । इससे उनको वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। उपरोक्त तथ्यो एवं विधिक अभिनिर्णयो के अनुसार विवादक संख्या 1, 2, व 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष मे किया जाता है तथा विवादक संख्या 04 के प्रमाणीकरण का भार प्रतिवादीगण पर है परन्तु उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही है । इसलिये इसके संबंध मे यही माना जावेगा की वे इस विवादक को प्रेस नही करना चाहते है । वादीगण द्वारा पूर्व वाद संख्या 4/79 जो दिनांक 29.01.1979 को प्रस्तुत किया गया था उसमे घोषणा की डिक्री विक्रय करार दिनांक 29.03.1974 के आधार पर मागी थी जो अपंजीकृत होने से वाद खारिज कर दिया गया था । इस वर्तमान वाद का वाद हेतुक वादीगण द्वारा उस वाद के खारिज करने की तिथि से उनका आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर अतिक्रमी का होने से प्रतिकूल धारणा की मयाद शुरू होने से उत्पन्न होना बताया है । इसलिये दोनो वादो का वाद हेतुक भिन्न होने से वर्तमान वाद को पूर्व वाद का निर्णय रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित नही माना जा सकता है । उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक अभिनिर्णयों के अनुसार विवादक संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न हैं:—

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
248	2.11	गै मुमकिन बेरा का 5/9 हिस्सा

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
244/1	28.7	चाही प्रथम
247/1	5.8	चाही प्रथम

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
244/2	28.7	चाही प्रथम
247/2	5.8	चाही प्रथम

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा

वादीगण के पक्ष में जारी उक्त खातेदारी अधिकार घोषणा के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के नाम एवं विवरण को हटा कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदारी हक देने के आदेश दिया जाकर वादीगण का नाम व विवरण विवादित भूमि में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी का आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तिपूर्वक आधिपत्य में तथा उनके द्वारा उसके उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा यह भी आदेशित किया जाता हैं कि ऋण की राशि जो प्रतिवादी संख्या 07 बैंक ने प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के मार्फत प्रतिवादीगण संख्या01 से 03 को वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन रखवा कर उपलब्ध करवाई वह अवैध है और उसके लिये वादीगण उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिये उनके उसकी वसूली प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 एवं 08 व 09 से बैंक नियमानुसार वसूल करें। वादीगण डिकी का पंजीयन निर्धारित समय अवधि में विधि अनुसार देय शुल्क के साथ कराने हेतु पाबंद हैं।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगणः–

1. सूरज कंवर पत्नि गजेसिंह जाति राजपूत निवारी निम्बेडाकलां
2. धाप कंवर पत्नि हुकुम सिंह के कायम मुकाम
   2.1 दुर्गासिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बेडाकलां हाल मोर्डन इनश्युलटर लिमिटेड शातिवन तलहटी आबूरोड जिला सिरोही
   2.2 श्रीमति श्याम कंवर पुत्र श्री हुकुमसिंह पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर जिला पाली वर्तमान पता हाल देवडा भवन नेहरू कॉलोनी फालना स्टेशन तहसील बाली
   2.3 श्रीमति थानेश्वरी कंवर पुत्र हुकमसिंह पत्नि विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली
3. प्रवीण कंवर पत्नि देवीसिंह (फौत होने से हटाया गया)
4. नरेद्रसिंह पुत्र जालमसिंह
5. बलवीरसिंह पुत्र जालमसिंह
6. महीपालसिंह पुत्र जालमसिंह
   सभी जाति– राजपूत निवासीयान– निम्बेड़ाकलां,
   तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

1. बुधाराम पुत्र गोकुलराम (फौत होने से हटाया गया)
2.जेठाराम पुत्र गोकुलराम
3.भूरकी विधवा गोकुलराम (फौत होने से हटाया गया)
4.लालूराम पुत्र हणूतराम
5.नेनाराम पुत्र हणूतराम
6.दलाराम पुत्र हणूतराम सभी जाति– जाट, निवासीयान– ग्राम मोहराकलां
   तहसील रायपुर।
7. पाली जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय
   दुर्गादास नगर पाली द्वारा सचिव।
8. पुखराज चौधरी पुत्र मनरूपराम, जाति– सीरवी,
निवासी– हेमलयावास कलां तहसील मारवाड़ जंक्शन,
वर्तमान में शाखा सचिव पाली जिला सहकारी भूमि विकास
बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय जैतारण।
9. मोतीलाल पुत्र अमराराम, जाति– जाट,
निवासी– पीपलियाखुर्द, तहसील जैतारण, हाल नागौर शाखा कार्यालय बांझाकुडी रोड जैतारण

खातेदारी अधिकार घोषणा अन्तर्गत धारा 8 एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 214(3) राजस्थान कृषि जोत अधिनियम 1955 सपठित धारा 27 परिसीमा अधिनियम 1963

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री शेष अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न हैः–

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
248	2.11	गै मुमकिन बेरा का 5/9 हिस्सा

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
244/1	28.7	चाही प्रथम
247/1	5.8	चाही प्रथम

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
244/2	28.7	चाही प्रथम
247/2	5.8	चाही प्रथम

कुल खसरा 2 कुल भूमि 33 बीघा 15 बिस्वा

वादीगण के पक्ष में जारी उक्त खातेदारी अधिकार घोषणा के अनुसरण में राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के नाम एवं विवरण को हटा कर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदारी हक देने के आदेश दिया जाकर वादीगण का नाम व विवरण विवादित भूमि में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी का आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तिपूर्वक आधिपत्य में तथा उनके द्वारा उसके उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा यह भी आदेशित किया जाता हैं कि ऋण की राशि जो प्रतिवादी संख्या 07 बैंक ने प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 के मार्फत प्रतिवादीगण संख्या01 से 03 को वादग्रस्त कृषि भूमि को रहन रखवा कर उपलब्ध करवाई वह अवैध है और उसके लिये वादीगण उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिये उनके उसकी वसूली प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 एवं 08 व 09 से बैंक नियमानुसार वसूल करें। वादीगण डिक्री का पंजीयन निर्धारित समय अवधि में विधि अनुसार देय शुल्क के साथ कराने हेतु पाबंद हैं।

नीज.......................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....

×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×...........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	32	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	27	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		41	00			32	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।